

23-11-1997 230-1

संख्या-1821/15-7-15/603/96

Mr. Arora
15/7

प्रेषक,

श्री अशोक मांगुलो
संस्कृत संस्थान
उत्तर प्रदेश भारत ।

सेवा में,

सरकार,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
विद्या भवन, 2 समूह, केन्द्रीय
संस्कृत विद्यालय, नई दिल्ली ।

विषय : 174 अनुभाग

तारीख : दिनांक 29 जुलाई, 1997

विषय: का० रिजवी लर्नि एकाडेमी मण्डली नगीम बाजोपुर जो न हिन्दी माध्यम से ही एकाडेमी मण्डली से सम्बन्धता से अनुपस्थित प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में ।

संबोधन,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह सूचना मिली है कि का० रिजवी लर्नि एकाडेमी मण्डली नगीम बाजोपुर जो ही एकाडेमी मण्डली से सम्बन्धता से अनुपस्थित प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को अनुपस्थित प्रमाणपत्रों के संबंध में :-

- 118 विद्यार्थियों की संवीक्षण सोसाइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 126 विद्यार्थियों की प्रत्यक्ष समिति में विद्या निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 138 विद्यार्थियों में कम से कम एक प्रतिभा तथान अनुपस्थित जाति/अनुपस्थित जाति के लक्षणों से उत्तर सुरक्षित रहेंगे और अन्य उत्तर प्रवेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विद्यार्थियों में विभिन्न स्थाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 144 संस्था का राज्य सरकार से शिक्षा अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यार्थियों माध्यमिक शिक्षा परिषद से/वैयक्तिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यार्थियों से सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/वैयक्तिक कारण दिखाने परून स्टडीफिफ्ट इत्यादि संकेतन नहीं दिखायी से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होगी की विधि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः प्राप्त हो जायेगा ।
- 151 संस्था के शिक्षा परिषद कार्यकारिणों को राजकीय सेवा का प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कार्यकारिणों को अनुपस्थित जाति तथा अन्य भाषाओं से अनुपस्थित तथा अन्य विधि से दिये जायेगे ।

168 कार्यवाहियों की संख्या को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं।

169 राज्य सरकार द्वारा एक सार्वजनिक भवन का निर्माण कराया जायेगा।

170 निम्नलिखित कार्यवाहियों की संख्या को बढ़ावा दिया जायेगा।

171 अतिरिक्त राज्य सरकार के प्राधिकारियों के लिए अतिरिक्त भवन का निर्माण कराया जायेगा।

2- निम्नलिखित कार्यवाहियों की संख्या को बढ़ावा दिया जायेगा।

1- निम्नलिखित कार्यवाहियों की संख्या को बढ़ावा दिया जायेगा।

2- निम्नलिखित कार्यवाहियों की संख्या को बढ़ावा दिया जायेगा।

3- निम्नलिखित कार्यवाहियों की संख्या को बढ़ावा दिया जायेगा।

निम्नलिखित कार्यवाहियों की संख्या को बढ़ावा दिया जायेगा।

अधीनस्थ

अधीनस्थ अधिकारी

1921-1922/15-7-16/60/96

निम्नलिखित कार्यवाहियों की संख्या को बढ़ावा दिया जायेगा।

1- निम्नलिखित कार्यवाहियों की संख्या को बढ़ावा दिया जायेगा।

2- निम्नलिखित कार्यवाहियों की संख्या को बढ़ावा दिया जायेगा।

3- निम्नलिखित कार्यवाहियों की संख्या को बढ़ावा दिया जायेगा।

4- निम्नलिखित कार्यवाहियों की संख्या को बढ़ावा दिया जायेगा।

अधीनस्थ

अधीनस्थ अधिकारी